IN THE COURT OF A.D.J-X, KAIMUR AT BHABUA

Title Appeal No. 511/2014

दिनांक 18.02.2022	उभयपक्ष की हाजिरी है। वाद पुकार पर उभयपक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुये। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.11.2021 अन्तर्गत आदेश 26 नियम 10 'ए' मिन जानिब मन अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रस्तुत स्वत्व वाद संख्या–201/2002 में पारित निर्णय वो डिक्री के विरूद्ध दाखिल किया गया है। आवेदन में अपीलार्थी का कथन है कि स्वत्व वाद संख्या–201/02 अराजी तफसील सिडियुल "ख" वो "ग" जैल अर्जिनालिस पर पुराना सर्वे नक्शा के आधार पर अपना हकियत घोषित करते हुए दखल–कब्जा कन्फर्म करने हेतु दाखिल किया गया था तथा अपीलार्थी के अर्जी के अनुसार अराजी तकरारी को सी.एस. नक्शा वो एम.एस. नक्शा के अनुसार विनिश्चयन करने हेतु निम्न न्यायालय में एक आवेदन सर्वे जानकर अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल किया गया था, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्व ारा दाखिल उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया वो अपने निर्णय में यह अवधारित किया गया कि मुदई द्वारा दिए गए नजरी नक्शा का मिलान सर्वे जानकार अधिवक्ता से नहीं कराया गया है। अपने कथन में अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सी.सी.सी. 2000 4 पेज 68 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में किसी सम्पत्ति के पहचान विनिश्चयन हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता की नियुक्ति कर निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन मांगने की कृपा की जाए। अपीलार्थी अधिवक्ता आयुक्त खर्च वहन करने को तैयार है। आवेदन में प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निमन्वत वर्णित है–(i) यह कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त महोदय सी.एस. खाता नंबर–9 सी.एस. प्लॉट नंबर–868 वाके मौजा–भभुआ वार्ड नंबर–18, थाना–भभुआ, जिला–कैमूर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर मैप ऑन स्केल बनावे वो यह बतलावे की सी.एस. प्लॉट नंबर–868 से कौन–कौन एम.एस. प्लॉट कितने–कितने रकबा के लिए बने है वो यह भी बतलावे कि सी.एस. प्लॉट नंबर–868 का कोई भी अंश एम.एस. प्लॉट नंबर–636,635 वो 633 के साथ बना है कि नहीं यही बना है तो सी.एस. प्लॉट नंबर–868 का कितना–कितना अंश एम.एस. प्लॉट नंबर–636, 635 वो 633 के साथ बना है वो किस रूप में बना है, अपने प्रतिवेदन वो नक्शा में दर्शावें। (ii) सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त, महोदय सी.एस. प्लॉट नंबर–868 का लंबाई, चौड़ाई एवं रकबा भी बतलावें। (iii) अधिवक्ता आयुक्त का ध्यान सरजमीन पर जिन दीगर बिन्दुओं पर आकृष्ट कराया जाए उसपर भी अपना प्रतिवेदन देंवे। विपक्षी उत्तरवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर पर कथन किया गया कि अपीलार्थी का सवाल वास्ते नियुक्ति सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त अंतर्गत आदेश 26 नियम 10 'ए' अंतर्गत अपील वाद संधारणीय नहीं है तथा अपीलार्थी ने न्यायालय द्वारा अनुमति वास्ते नियुक्ति सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को न देने की स्थिति में अपने कथन को रिभीजनल कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय

लगातार पेज/2	के समक्ष नहीं रखा है। उत्तरवादी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अपने द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकारी से माप करा प्रतिवेदन समर्पित कराना आवश्यक नहीं समझा है, जबकि मुदईयान अपीलार्थी का साक्ष्य न्यायालय में चल रहा था वो साक्ष्य देने का अवसर मौजूद रहा परन्तु अपीलार्थी अपील वाद में सर्वे जानकार अधिवक्ता नियुक्त के सवाल देकर मोकदमा का पुनः ट्रायल कराना चाहते है जो कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत संधारणीय नहीं है। यह कि उत्तरवादी द्वारा बयान तहरीरी अंदर मोकदमा नंबर–201/2002 दिनांक 02.04.2004 को दाखिल किया है वो सभी तथ्यों का उल्लेख अंतर्गत बयान तहरीरी में है वो अपील वाद दाखिल किये हुए करीब 7 साल हो गया किन्तु अपीलार्थी ने अपील वाद में अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने का निवेदन नहीं किया वो अनावश्यक रूप से सवाल अंतर्गत आदेश 26 नियम 10 'ए' के तहत 7 साल बाद दाखिल किया है, जो कि काबिल खारिज के है। अतः अपीलार्थी का आवेदन वास्ते नियुक्ति सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त खारिज फरमाया जावे। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि टाइटल अपील संख्या–511/2014 के न्यायसंगत विचारण हेतु अपील वाद में सर्वे जानकार अधिवक्ता का नियुक्ति किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः अपीलकर्ता का आवेदन दिनांक 16.11.2021 अन्तर्गत आदेश 26 नियम 10 'ए' को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है। दिनांक 08.03.2022 वास्ते सुनवाई। लेखापित ह0/– अपर सत्र न्यायाधीश–दशम् कैमूर, भभुआ